न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, सारण, छपरा।

ए.बी.पी.2948/2026

मशरख थाना कांड संख्या–494/2026

अंतर्गत धारा 126(2),115(2),109,352,351(2),3(5) बी.एन.एस.

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।

नवी साईं एवं अन्य .....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता–श्री पंकज कुमार पाण्डेय
विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री ध्रुवदेव सिंह

31.07.2026 आवेदकगण नवी साईं, सोबराती साईं उर्फ मो0 सोबराती, चांद तारा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप दिनांक 21.06.2026 को बास बांधने के विवाद को लेकर नवी साईं, सोबराती साईं उर्फ मो0 सोबराती, चांद तारा सहित अन्य अभियुक्तगण आये और अरशद अली ने उसके पेट के पंजराठी में चाकू से हमला कियां उसकी पत्नी को सभी लोगों ने मारपीट किया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। कोई अग्रिम या नियमित जमानत किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण एक ही परिवार के लोग हैं। आवेदकगण पर चाकू से वार करने का विशिष्ट आरोप नहीं है। उभयपक्ष में पलटावाद दायर है। आवेदकगण उचित जमानतदार देने को तैयार है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से विरोध किया गया और कथन किया गया कि मामले में सह अभियुक्त पर चाकू से हमला कर जख्मी करने का आरोप है। मामला अग्रिम जमानत योग्य नहीं है।

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, सारण, छपरा।

ए.**बी.पी.2948/2026**

मशरख थाना कांड संख्या–494/2026

अंतर्गत धारा 126(2),115(2),109,352,351(2),3(5) बी.एन.एस.

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।

नवी साईं एवं अन्य .....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

कांड दैनिकी का अवलोकन किया। उभयपक्ष एक ही परिवार के हैं। आवेदक संख्या71 82 वर्ष का है। अन्य एक महिला है। आवेदकगण के उपर चाकू से वार करने का कोई आरोप नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामला अग्रिम जमानत योग्य पाया जाता है। उपरोक्त आवेदकगण के द्वारा एक माह के अन्दर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने/पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर प्रत्येक को 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं द्वारा बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न न्यायालय/पुलिस की संतुष्टि पर द0प्र0स0 की 438(2) में उल्लिखित प्रावधानों के शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दिये जाने का आदेश दिया जाता है। आवेदकगण का एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार तथा दूसरा ग्रामीण होगा।

लेखापित

ANURAG KUMAR TRIPATHI

Digitally signed by ANURAG KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.07.31 15:52:21 +0000

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।